

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

E-mail-eeecdalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 2972 / 3सी (व.भू)

दिनांक 7 / 12 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम,
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैंड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-मैमो / 12-1 दि0 11.10.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है-

प्रश्न	उत्तर
1. Authority letter uploaded in Part-I has not been issued in favour of person making the online application on the behalf of the user agency.	Authority letter ठीक कर पार्ट I में सेक्सन ए के (i) के (iii) में आनलाईन प्रेषित की जा रही है।
2. Although, the GIS software generated geo referenced digital map of the forest land propose for diversion has been uploaded at para- C (iv) of online Part-I but the original had copy of the map duly authenticated by the competent authority has not been submitted to the Regional Office.	उक्त सम्बन्धित हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. Name of two villages i.e. Belwal Gaon & Chhana Jamrani has been mentioned in the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online Part-I but the proceedings of the Village Level Committee meeting under FRA has been uploaded for Belwal Gaon only in para-K of online Part-I.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में ग्राम छाना जमराड़ी ग्राम पंचायत बूंगा के अन्तर्गत आता है। जो कि आनलाईन पार्ट I के K सेक्सन के (i) में अपलोड कर प्रेषित किया जा रहा है।
4. Employment details have not been given in para-E of online Part-I.	Employment details पार्ट-I में पैरा ई में शून्य (no) अंकित कर आनलाईन प्रेषित की जा रही है।
5. FRA certificate has been uploaded in para-D (i) of online Part-I instead of justification for locating the project and forest land.	एफ0आर0ए0 सार्टिफिकेट पार्ट I के K सेक्सन में अपलोड किया गया है तथा note for justification पार्ट I के पैरा डी के (i) में अपलोड किया गया है।
6. Administrative Approval has not been uploaded in online Part-I.	प्रस्ताव का वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश आनलाईन पार्ट I के एडिशनल के क्रमांक 1 में अंकित कर प्रेषित किया जा रहा है।
7. Density is mentioned as 0.3 in Eco-class-V but NPV rate has been charged for Dense Forest category.	इस बिन्दु का निराकरण आपके विभाग से किया जाना है।
8. Original hard copy of Part- III, IV & V has not been submitted.	इस बिन्दु का निराकरण आपके विभाग से किया जाना है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा